वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 152/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-23.04.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 23.04.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी है।

01.थाना- जीयनपुर: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 23.03.2025 को आवेदक थाना-जीयनपुर तहसील सगड़ी ,जनपद आजमगढ़ ने थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 19.03.25 को वादी की नाबालिक पुत्री दोपहर 1.30 बजे, लाटघाट वाजार में सतना रोड पर कपड़ा सिलाने हेतु दर्जी के यहाँ गयी थी। विपक्षी एक बाल अपचारी थाना जीयनपुर वहला फुसलाकर भगा ले गया है, विपक्षी एंव विपक्षी के माता पिता धमकी दे रहे है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर **मु0अ0स0 117/2025 धारा 137(2)/87/351(2) BNS** पंजीकृत हुयी जिसकी विवेचना उ0नि0 जाफर खान द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 22.04.2025 को **उ0नि0जाफर खान** मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी को समय करीब 19.00 बजे जीयनपुर बस स्टैण्ड के पास से हिरास्त पुलिस में लिया गया/बरामद किया गया व अवलोकन बयान अपहृता अन्तर्गत धारा 180BNSS से मुकदमा उपरोक्त मे धारा 64 BNS व 4(2) पाक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गयी व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02.थाना- बरदह: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 17.04.25 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि विपक्षी सोनू विन्द पुत्र रामरतन बिन्द निवासी देवापुर थाना बरदह वादिनी से बात करती थी, जो वादिनी को शादी का झासा देकर कई बार शारिरिक सम्बंध बना चुका है इसी बीच मेरे घर वाले अप्रैल 2021 मे मुन्ना बिन्द पुत्र दलश्रिंगार बिन्द निवासी काफरपुर थाना सरायख्वाजा जिला जौनपुर से शादी कर दिये। वादिनी अपने ससुराल मे चार माह रह सोनू उपरोक्त द्वारा मेरे बारे मे मेरे पति मुन्ना को भला बुरा कह दिया जिस कारण मेरा तथा मेरे पति मुन्ना के बिच बाद विवाद व कलह होने लगी तत्पश्चात हमारी शादी का छुट्टी छुट्टा हो गया इसके बाद भी सोनू द्वारा शादी का झांसा देकर शारिरिक सम्बंध बनाया जब शादी करने के लिए कही तो सोनू शादी से इन्कार कर दिया सोनू की शिकायत जब उसकी माँ से बेला बिन्द व बहन रुमा बिन्द से किया तो वह दोनो मुझे गाली गुप्ता व जान से मार देने की धमकी देने लगे उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 106/25 धारा 376/504/506 भादवि** बनाम सोनू विन्द पुत्र रामरतन बिन्द निवासी देवापुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 23.04.25 को **उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव** मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित **अभियुक्त सोनू बिन्द पुत्र रामरतन बिन्द ग्राम देवापुर (लसडाखुर्द) थाना बरदह, आजमगढ़** को लसडाखुर्द चौराहे क पास से समय 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-सोनू बिन्द पुत्र रामरतन बिन्द ग्राम देवापुर (लसडाखुर्द) थाना बरदह , आजमगढ़

03.थाना- मेंहनगरः छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

अवगत कराना है कि दिनांक 22.04.2025 को वादी ने थाना मेंहनगर पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 21/04/25 को समय करीब शाम 7.00 बजे मेरी लड़की उम्र करीब 16 साल अपने छत पर कपड़ा फैलाने गई थी कि फहद अंसारी पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम रहिला थाना मेंहनगर आजमगढ़ द्वारा मेरे छत पर आकर मेरी लड़की का हाथ पकड़ कर छेड़खानी करने लगा जब मेरी लड़की चिल्लायी तो मेरी बड़ी लड़की छत पर गई तो फहद अंसारी उपरोक्त द्वारा मेरी दोनो लड़की को गाली गलौज देते हुए भाग गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 173/25 धारा 74, 352 बीएनएस व 7/8 पास्को एक्ट** बनाम फहद अंसारी पुत्र अज्ञात ग्राम रहिला थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण ....

दिनांक 22.04.25 उ0नि0 अमित कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त फहद अंसारी पुत्र मो0 शकिल ग्राम रहिला थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को उसके घर ग्राम रहिला से समय 15.05 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।